झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/710/2012– .... राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

ई० शिवानंद राय,
संयुक्त सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार**

विषय :– **मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्रान्र्तगत लौंगा वियर लिंक कैनाल का तल सफाई एवं सामान्य मरम्मति के लिए ₹ 6.076 लाख (छः लाख सात हजार छः सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश स्वीकृत

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्रान्र्तगत लौंगा वियर लिंक कैनाल का तल सफाई एवं सामान्य मरम्मति के लिए ₹ 6.076 लाख (छः लाख सात हजार छः सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. प्रस्तावित लौंगा वीयर लिंक कैनाल की सुदृढ़ीकरण अन्तर्गत निम्नांकित कार्य किया जायेगा :–

   (i) नहर तल की चेन सं० 0.00 से 42.00 तक तल सफाई, साईड कटिंग एवं जलीय पौधे एवं झाड़ी की सफाई का कार्य।

   (ii) वीयर स्लूस (Sluice) की ओर गेट के नीचे से क्रेस्ट तक 1'6" P.C.C करने का कार्य।

4. प्रस्तावित कार्य वर्ष 2014–15 में प्रारंभ कर वर्ष 2014–15 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

5. इस कार्य पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय, उप शीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 43 अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण के अंतर्गत भारित होगा।

6. प्रस्तावित कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, अनुशंधान प्रमण्डल, गढ़वा होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इसके नियंत्री पदाधिकारी होगे।

7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

8. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2014–15 के बजट में उपबंध है।

9. प्रस्ताव पर माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

D:\Node-4\TA\L.K\Sanlekha\Medininagar\Lounga viyar 6-7.doc

10. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

11. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

12. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०–हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(शिवानंद राय)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/710/2012– .... राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/वित्त विभाग, झारखण्ड राँची एवं योजना एवं विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(शिवानंद राय)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/710/2012– .... राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(शिवानंद राय)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/710/2012– 07/14-15 .... **राँची, दिनांक** 04.06.2014

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/ अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गढ़वा/ कार्यपालक अभियंता, अनुशंधान प्रमण्डल, गढ़वा /वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/6/14

(शिवानंद राय)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

04/06/14